न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 181/2023

दायर दिनांक 17.05.2023

निर्णय दिनांक 16.04.2024

उनवान

1. देवबक्ष पुत्र स्व0 श्री गजानन्द जी जाट उम्र वयस्क निवासी ग्राम सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा
2. प्रेम पुत्री स्व0 श्री गजानन्द जी जाट उम्र वयस्क निवासी ग्राम सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पत्नी स्व0 श्री गजानन्द जी जाट उम्र वयस्क निवासी ग्राम सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी राजेश चौधरी
अधिवक्ता महेश जोशी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 16/04/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः 1194, 191, 2503/191, 2504/1191 कुल किता 04 कुल रकबा 1.4921 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एव विपक्षी संख्या 02 व 03 के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 व 03 के पिता /पति गजानन्द जाट की मृत्यू होने के कारण उपरोक्त आराजियात गजानन्द की विरासत से नामान्तरण संख्या 1708 में बक्षु पिता गजानन्द का नाम अंकित कर दिया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम देवबक्ष पुत्र गजानन्द जाट है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में, आधार कार्ड की फोटोप्रति, निर्वाचन पहचान पत्र की फोटोप्रति, जनआधार कार्ड की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी संख्या 01 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। विपक्षी संख्या 02 व 03 के समन बाद तामिल प्राप्त नहीं हुए। प्रार्थी अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम बक्षु जाट के बजाय देवबक्ष जाट दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपती प्रकट नहीं की है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परिक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम हलेड़ के आराजी नम्बर 1194, 191, 2503/191, 2504/1191 कुल किता 04 कुल रकबा 1.4921 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 में बक्षु जाट पिता गजानन्द जाट दर्ज कर रखा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम बक्षु जाट पिता गजानन्द जाट के बजाय देवबक्ष जाट पिता गजानन्द जाट परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः 1194, 191, 2503/191, 2504/1191 कुल किता 04 कुल रकबा 1.4921 हैक्टेयर भूमि की जमाबन्दी में अंकित बक्षु जाट पिता गजानन्द जाट का नाम देवबक्ष जाट पिता गजानन्द जाट परिवर्तन करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार ईन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

Ahad

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा